अध्याय 7

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

ओएनजीसी के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयासों (2007-08 से 2010-11) की निष्पादन लेखापरीक्षा ***यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या ओएनजीसी के अन्वेषण प्रयास उसके अपने और राष्ट्र के कल्पित हाइड्रोकार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समुचित योजना के साथ किए गए थे तथा दक्षता और प्रभावकारिता के साथ कार्यान्वित किए गए थे।***

7.1 निष्कर्षः

लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएनजीसी ने अपने अन्वेषण क्रियाकलाप पर वांछित ज़ोर नहीं दिया था। इसके साथ-साथ अन्वेषण पर कम प्राथमिकता, एमओयू लक्ष्य निर्धारण तथा रिपोर्टिंग और निष्पादन माप (आरआरआर के माध्यम से) में असंगतियां हैं जिनके द्वारा पणधारी गुमराह हो सकता है। कम्पनी एक अच्छा पीआरआर प्रदर्शित करती है, जबकि उत्पादन स्थिर बना हुआ है। ओएनजीसी अपनी खोजों को मोनीटाईज़ करने में सुस्त थी जिसके कारण उत्पादन कम हुआ। जबकि निष्पादन की बाह्य बैंचमार्किंग नहीं की गई थी, राष्ट्रीय रूप से ओएनजीसी की निजी तथा सीपीएसई (ऑयल) की तुलना में निम्नतम कार्यक्षमता थी जिसके कारण कार्य प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति नहीं हुई तथा निर्णीत हरजानों का भुगतान हुआ। प्रचालनों (खरीद, किराए पर लेने, ठेका देने आदि) में भी कई अनियमितताएं देखी गई थी। कम्पनी के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन थे जिनका वह उपयोग नहीं कर पाई तथा प्रमुख मानवशक्ति में निरन्तर भारी संघर्ष बना रहा जिसके कारण उसे कई प्रचालनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ओएनजीसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रही है, तथापि, उसके पास अपनी तकनीकी क्षमता के स्वतंत्र निर्धारण की प्रणाली नहीं थी जो अपने पणधारियों को आश्वस्त करने में विफल रही है।

ओएनजीसी रिजर्व वृद्धि तथा उत्पादन लक्ष्य-दोनों को पूरा करने के लिए मुख्यतः अपने उत्पादक क्षेत्रों में ही कार्य करती है। नए क्षेत्रों में पर्याप्त प्रयासों तथा परिणामों का अभाव तथा पुराने होते क्षेत्र भविष्य के लिए चिन्ता का विषय हैं।

7.2 सिफारिशें:

एमओपीएनजी तथा ओएनजीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ओएनजीसी के अन्वेष्णात्मक प्रयासों/क्रियाकलापों, जो कम्पनी को बनाए रखने के लिए प्रमुख चिन्ता का विषय है, पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है जैसा कि नीचे सिफारिश की गई हैः

- *अन्वेषण प्रयासों में निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन प्राचल के रूप में रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशो (आरआरआर) की समीक्षा की जानी चाहिए।*

- *लेखापरीक्षा अपनी सिफारिश को दोहराता है कि ओएनजीसी को एपीआई चक्र के लिए बेसिन-वार प्रतिमान बनाने चाहिएं। यह भी सिफारिश की जाती है कि इन प्रतिमानों का निष्पादन प्राचलों के साथ लिंक होना चाहिए। यह निष्पादन संचालित परिदृश्य में विशेष रूप से संगत है जहां बेसिन्ज को निष्पादन संबधी वेतन का भुगतान किया जाता है और ओएनजीसी, यदि निर्धारित समय के अन्दर अपनी कार्य प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता तो उसे निर्णीत हरजानों का भुगतान करना पड़ता है।*

- *ओएनजीसी को अन्वेषण प्रतिबद्धताओं का समय पर समापन सुनिश्चित करने के लिए, अपने अन्वेषण लक्ष्य पूरा करने के लिए मांग तथा उपलब्धता/उपस्कर के उपयोग के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए केन्द्रित योजना तथा दक्ष समन्वय के लिए अपनी प्रक्रियाओं को गति देनी चाहिए।*

- *ओएनजीसी को प्रतिस्पर्धा के इस समय और उच्च संभावित ब्लॉकों के लिए बढ.-चढ़ कर बोली लगाने के लिए स्वयं को सक्षम बनाने के लिए अपने अनुभव और संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। कम्पनी को कार्य प्रतिबद्धता कार्यक्रम का पालन करना चाहिए ताकि ब्लॉकों को दिए गए चरणों के अन्दर पूरी तरह एक्सप्लोर किया जा सके और निर्णीत हरजानों से भी बचा जा सके।*

- *एनईएलपी के अन्तर्गत अन्वेषण कार्यक्रमों के निर्विध्न कार्यान्वयन हेतु निरीक्षण निकायों के साथ निकटतर समन्वय अनिवार्य है।*

- *एमओपीएनजी को ब्लॉक देने से पहले अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप करने के लिए अनुमोदनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।*

- *नामांकन ब्लॉकों में हाइड्रोकार्बन सफलता तथा इन ब्लॉकों में अन्वेषण हेतु विस्तार की संभावना न होने को ध्यान में रखते हुए ओएनजीसी को वर्तमान में अपने पास अधिकतम हाइड्रोकार्बन रिजर्व रखने के लिए नामांकन ब्लॉकों में संभावना का पता लगाना चाहिए।*

- *अन्वेषण की बेहतर कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए मानवीय त्रुटियों को ठीक करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।*

- *कम्पनी को सलाहकार/विशेषज्ञ पारिश्रमिक पर रखने की प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धात्मक लचीलापन शुरू करना चाहिए।*

- *विशेषकर निधियों की उच्च लागत के मद्देनजर कमियों से बचने के लिए बजट के उपयोग पर करीब से निगरानी की जानी चाहिए।*

- *ओएनजीसी को पणधारियों को यह आश्वासन देने के लिए कि उसकी प्रौद्योगिकीय क्षमताएं अद्यतन हैं, प्रौद्योगिकी का शीघ्र ही स्वंतत्र निर्धारण करना चाहिए।*

- *ओएनजीसी को महत्वाकांक्षी नीतिगत उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि उसने अपने पणधारियों को सम्प्रेषित कर दिया है, निष्पादन का संचालन करना चाहिए।*

- *एमओपीएनजी/ओएनजीसी को सीधे अन्वेषण से संबद्ध निष्पादन प्राचलों पर वांछित जोर देते हुए एमओयू लक्ष्यों की नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उक्त लक्ष्य एवं प्राप्तियां पणधारियों को गुमराह होने से बचने के लिए समुचित आधार पर मापे और रिपोर्ट किए जाते हैं।*

- *ओएनजीसी को समूचे संगठन मे आन्तरिक पीयर बैंचमार्किंग, लक्ष्य निर्धारण, समुचित लिंकेज आकर्षित करने तथा निष्पादन मूल्यांकन करने के लिए बैंचमार्किंग के आधार पर समुचित पहल करनी चाहिए। अपस्ट्रीम क्षेत्र के नियामक के रूप में, डीजीएच वह निकाय हो सकता है जिसे ई एवं पी उद्योग के लिए निष्पादन प्राचलों तथा मापदण्डों को मानकीकृत करने के लिए आदर्श स्थान दिया जाए ।*

अमित कुमार पटनायक

नई दिल्ली
दिनांक : 6 अगस्त, 2012

(ए. के. पटनायक)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक : 6 अगस्त, 2012

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक